Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 21, Issue No. 1, January-2024, ISSN 2230-7540

सिवनी जिले में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता और विकास में सह–संबंध का अध्ययन

Deepak Kumar Warkade[1]*, Dr. Anamika Rawat[2]

[1] Research Scholar, Bhabha University,Bhopal, MP

Email: Deepakwarkade6@gmail.com

[2] Professor of Political Science Department, Bhabha University,Bhopal, MP

सार– सिवनी जिला भारत के मध्य भाग, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह जिला अपनी समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ–साथ अपनी भौगोलिक विशेषताओं के कारण भी महत्व रखता है। सिवनी, भारत के मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित, एक समृद्ध इतिहास और भौगोलिक महत्व वाला एक शहर और नगर पालिका है। जिला, जो मुख्य रूप से आदिवासी परिवारों द्वारा बसा हुआ है, 1956 में स्थापित किया गया था। विशेष रूप से, सिवनी के आसपास के जंगल, जिन्हें ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान सिवनी कहा जाता था, द जंगल बुक में रुडयार्ड किपलिंग (1894–1895) की प्रसिद्ध मोगली कहानियों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करते थे। सिवनी गोदावरी नदी की सहायक नदी वैनगंगा नदी के निकट स्थित है। यह शहर ट्रेनों और सड़कों के माध्यम से नागपुर और जबलपुर जैसे प्रमुख नजदीकी शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44, एक महत्वपूर्ण उत्तर–दक्षिण गलियारा, सिवनी से होकर गुजरता है। सिवनी रेलवे स्टेशन जिले के लिए एक प्राथमिक परिवहन केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो शहर को एक्सप्रेस ट्रेनों के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी, नई दिल्ली और राज्य की राजधानी, भोपाल से जोड़ता है। इस लेख मे सिवनी जिले में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता और विकास में सह–संबंध का अध्ययन किया गया है।

कीवर्ड – पंचायती राज, राजनैतिक सहभागिता, विकास, सह–संबंध

----------X----------

1. परिचय

पंचायती राज और ग्रामीण विकास आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और इन्हें अलग–अलग संस्थाएँ नहीं माना जा सकता। पंचायती राज प्रणाली को तीन स्तरों में संरचित किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायतें, मध्यस्थ स्तर और जिला परिषदें शामिल हैं, प्रत्येक अपने–अपने स्तर पर विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं।1 ये संस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण विकास नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाहे केंद्र हो या राज्य सरकारें, विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का कार्य पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा जाता है। पंचायती राज की अवधारणा की ऐतिहासिक जड़ें प्राचीन भारत में हैं, जैसा कि ऐतिहासिक वृत्तांतों में दर्ज है। साम्राज्यों के उत्थान और पतन के बावजूद गाँव भारतीय समाज की नींव बने हुए हैं। अतीत में, गाँव जमीनी स्तर पर एक आर्थिक और प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करता था।2 पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना का आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पाया जाता है, जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। यह लेख ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर देता है। दुर्भाग्य से, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी3 अभी भी बनी हुई है, अनुमानित 30 प्रतिशत ग्रामीण आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है, जो शहरी क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है।

भारत में पंचायती राज संस्थाएँ: एक सिंहावलोकन

अपने राजनीतिक नियंत्रण को मजबूत करने के लिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपने शासन के दौरान ग्राम पंचायतों पर अधिकार स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न उपाय लागू किए। 1909 में, स्थानीय स्वशासन पर एक विशेष आयोग नियुक्त किया गया, जिसने स्थानीय मामलों के प्रबंधन के लिए ग्राम पंचायतों की स्थापना के महत्व को पहचाना। इसने बंगाल ग्राम स्वशासन अधिनियम (1919), मद्रास, बॉम्बे और संयुक्त प्रांत ग्राम पंचायत अधिनियम (1920), बिहार और उड़ीसा ग्राम प्रशासन अधिनियम, और असम स्वशासन अधिनियम (1926) जैसे कई अधिनियमों की शुरूआत का मार्ग प्रशस्त किया।4 इन अधिनियमों का उद्देश्य गाँव के मामलों को संबोधित करना और विकास को बढ़ावा देना है। इन अधिनियमों के तहत, ग्राम पंचायतों को मुख्य रूप से छोटे मामलों को संभालने के लिए सीमित शक्तियाँ प्रदान की गईं। हालाँकि, उन्हें दी गई शक्तियाँ अल्प थीं, और उनके वित्तीय संसाधन सीमित थे। हालाँकि इन अधिनियमों ने स्थानीय शासन और विकास के महत्व को स्वीकार किया, लेकिन इनका कार्यान्वयन ग्राम पंचायतों को पर्याप्त स्वायत्तता और संसाधन प्रदान करने में कम रहा। ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए ये उपाय ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्थानीय मामलों को नियंत्रित और प्रबंधित करने के उनके इरादे को दर्शाते हैं, भले ही सीमित शक्तियों और संसाधनों के साथ। इन अधिनियमों के सीमित दायरे ने बाद के सुधारों की नींव रखी जो स्थानीय शासन और विकास को बढ़ावा देने में ग्राम पंचायतों की भूमिका और कार्यों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

www.ignited.in

पंचायती राज संस्थाओं के कार्य

पंचायती राज संस्थाएँ कई प्रकार के कार्यों को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिन्हें मोटे तौर पर प्रथम स्तर पर नागरिक और विकासात्मक कार्यों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिन्हें ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाता है। इन कार्यों में स्वच्छता, संरक्षण, जल आपूर्ति, सड़कों का निर्माण और रखरखाव, प्रकाश व्यवस्था, शिक्षा, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सामाजिक कल्याण पहल जैसे क्षेत्र शामिल हैं।5

मध्य स्तर, जिसमें पंचायती समिति, मंडल परिषद या जनपद पंचायतें शामिल हैं, मुख्य रूप से विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हैं। इन गतिविधियों में परिवार नियोजन, ग्राम सेविकाओं का प्रशिक्षण, बच्चों और महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि की योजना बनाना, कृषि उत्पादन, ग्रामीण आवास, मत्स्य पालन, सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सहकारी पहल और पुस्तकालयों की स्थापना शामिल है। कई राज्यों में, जिला परिषदों, जिला विकास परिषदों या जिला प्रजा परिषदों को कुछ कार्यकारी कार्यों के साथ–साथ समन्वय और योजना कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जाती है।

पंचायत समिति के आय के साधन

एक पंचायती समिति के पास जिला परिषद की पूर्व मंजूरी के अधीन, राज्य सरकार द्वारा निर्देशित और नियंत्रित कर, शुल्क, उपकर और शुल्क लगाने का अधिकार है। यह अपने प्रबंधन के तहत सड़कों (कच्ची सड़कों को छोड़कर) या पुलों पर टोल गेटों पर व्यक्तियों, वाहनों या जानवरों पर टोल लगा सकता है। इसे अपने प्रबंधन के तहत नौकाओं के उपयोग के लिए टोल वसूलने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, यह वाहन पंजीकरण (मोटर वाहन अधिनियम, 1986 के तहत पंजीकृत लोगों को छोड़कर) के लिए शुल्क लगा सकता है, राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर पूजा स्थलों, तीर्थ स्थलों, मेलों और मेलों पर स्वच्छता व्यवस्था प्रदान कर सकता है। पंचायती समिति को बाजार लाइसेंस, अन्य लाइसेंस, पीने के लिए पानी की आपूर्ति, सिंचाई या अन्य उद्देश्यों के लिए शुल्क और अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक सड़कों और क्षेत्रों के लिए प्रकाश शुल्क लेने के लिए भी अधिकृत किया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं की उपलब्धियां

- पंचायती राज संस्थाओं ने देश भर में स्थानीय स्तर पर संगठनात्मक बुनियादी ढाँचा स्थापित किया है, जिससे विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आसानी हुई है।
- इन संस्थानों ने अपेक्षाकृत युवा नेताओं की एक नई पीढ़ी तैयार की है।
- उन्होंने स्थानीय समुदाय और सरकारी अधिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम किया है।
- पंचायती राज संस्थाओं ने ग्रामीण निवासियों की आकांक्षाओं को बढ़ाया है और प्रशासकों की विकासात्मक जिम्मेदारियों पर जोर दिया है।
- उन्होंने व्यापक ग्राम विकास के लिए आवश्यक भौतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- इन संस्थानों ने औसत नागरिकों के बीच अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में योगदान दिया है, जिससे उनकी राजनीतिक चेतना में वृद्धि हुई है।
- पंचायती राज संस्थाओं ने पारदर्शिता बढ़ा दी है, जिससे ग्रामीणों को विभिन्न पहलों के पीछे के कार्यों, जिम्मेदार व्यक्तियों और कारणों की स्पष्ट दृश्यता प्राप्त हो सकी है।
- उन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से धन के बंदरबांट को कुछ हद तक कम करने में योगदान दिया है।
- इन संस्थानों के कामकाज के कारण सार्वजनिक सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी में काफी वृद्धि और सुधार हुआ है।

जिले की भौगोलिक पृष्ठभूमि

सिवनी, भारत के मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित, एक समृद्ध इतिहास और भौगोलिक महत्व वाला एक शहर और नगर पालिका है। जिला, जो मुख्य रूप से आदिवासी परिवारों द्वारा बसा हुआ है, 1956 में स्थापित किया गया था। विशेष रूप से, सिवनी के आसपास के जंगल, जिन्हें ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान सिवनी कहा जाता था, द जंगल बुक में रुडयार्ड किपलिंग (1894–1895) की प्रसिद्ध मोगली कहानियों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करते थे। सिवनी गोदावरी नदी की सहायक नदी वैनगंगा नदी के निकट स्थित है। यह शहर ट्रेनों और सड़कों के माध्यम से नागपुर और जबलपुर जैसे प्रमुख नजदीकी शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44, एक महत्वपूर्ण उत्तर–दक्षिण गलियारा, सिवनी से होकर गुजरता है। सिवनी रेलवे स्टेशन जिले के लिए एक प्राथमिक परिवहन केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो शहर को एक्सप्रेस ट्रेनों के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी, नई दिल्ली और राज्य की राजधानी, भोपाल से जोड़ता है। निकटतम हवाई अड्डा लगभग 130 किमी दूर नागपुर में स्थित है, जबकि चार्टर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों के उतरने के लिए सुखतारा गांव के पास सिवनी में एक छोटा हवाई अड्डा (हवाई पट्टी) उपलब्ध है। वैनगंगा नदी मध्य प्रदेश के सिवनी में गोपालगंज गांव के पास मुंडारा में महादेव पहाड़ियों से निकलती है। यह गोदावरी नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी के रूप में कार्य करती है। घुमावदार रास्ते में दक्षिण की ओर बहती हुई, नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरती है, लगभग 579 किमी (360 मील) की दूरी तय करती है। वर्धा नदी के साथ विलय के बाद, संयुक्त धारा, जिसे प्राणहिता नदी के नाम से जाना जाता है, अंततः तेलंगाना के कालेश्वरम में गोदावरी नदी में मिल जाती है।

2. अध्ययन का उद्देश्य

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता और विकास में सह–संबंध का अध्ययन।

www.ignited.in

3. साहित्य की समीक्षा

पुष्पा अर्चना (2014)06 "महिला प्रभारी, कर्नाटक, क्विड रिवोल्यूशन'' शीर्षक से अपने अध्ययन में, देखा कि ग्राम पंचायत की बहुत कम महिला सदस्यों को उनके राजनीतिक दलों द्वारा दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हालाँकि, इसके बावजूद, सुवर्णा और के. प्रभावती ने कहा कि इन महिलाओं को उनके काम से मिली पहचान और सराहना से प्रेरणा मिलती है। ग्राम पंचायत में उनकी भागीदारी के माध्यम से, उन्होंने व्यक्तिगत विकास का अनुभव किया है, पुलिस अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों के साथ संवाद करने का साहस और दृढ़ विश्वास प्राप्त किया है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्राम पंचायत में शामिल होने से पहले इनमें से कई महिलाओं का अपने परिवार या आस–पड़ोस के बाहर सीमित संपर्क था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने समुदाय के बीच सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ–साथ अपने वार्डों या गांवों की ढांचागत जरूरतों को पूरा करने का कौशल भी हासिल कर लिया है।

सदाशिवम (2014)07 ने ''भारत में समावेशी लोकतंत्रः अभी भी एक लंबी यात्रा'' शीर्षक से एक शोध लेख आयोजित किया। लेख का निष्कर्ष है कि हमारे देश में समावेशी लोकतंत्र की अवधारणा केवल मतदान के माध्यम से चुनावों में भागीदारी से आगे बढ़नी चाहिए। सच्चे समावेशी लोकतंत्र के लिए समाज के सभी वर्गों के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समावेशिता की आवश्यकता होती है, जिसमें वंचित और हाशिए पर रहने वाले समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच सहित लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई लोग अभी भी इन आवश्यक चीजों से वंचित हैं। इन तीन क्षेत्रों में समावेश हासिल किए बिना, सच्चे समावेशी लोकतंत्र को साकार नहीं किया जा सकता है।

महापात्रा जी.पी. (2007)08 ''रूरल बैंक्स फॉर रूरल डेवलपमेंट'' ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा ऋण प्रावधान से संबंधित चुनौतियों और संभावित समाधानों की एक व्यापक परीक्षा प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक ग्रामीण वित्तीय संस्थानों की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डालती है और देश भर में आरआरबी की स्थापना के महत्व पर जोर देती है। ये वित्तीय संस्थान एक निर्दिष्ट जिले के भीतर ग्रामीण वित्त की नींव के रूप में कार्य करते हैं। यह अध्ययन मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में एक आरआरबी के मामले के अध्ययन के साथ–साथ भारत के व्यापक संदर्भ पर केंद्रित है। ग्रामीण विकास और ऋण पहुंच में ग्रामीण बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, पुस्तक ग्रामीण क्षेत्र पर उनके महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डालती है। हालाँकि, यह उन बाधाओं की भी पहचान करता है जो उनके प्रभावी कामकाज में बाधा डालती हैं। शोध कार्य सावधानीपूर्वक इन बाधाओं का पता लगाता है और स्वयं बैंकों के साथ–साथ प्रायोजक बैंकों, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को उपचारात्मक उपाय प्रदान करता है। आरआरबी के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करके और कार्रवाई योग्य समाधान प्रस्तावित करके, यह अग्रणी कार्य ग्रामीण बैंकिंग की समग्र वृद्धि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका में योगदान देता है। यह वित्तीय समावेशन और सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में शामिल नीति निर्माताओं, बैंकिंग संस्थानों और हितधारकों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

भाग्यलक्ष्मी, जे. (2004)09 ''महिला सशक्तिकरण मील आगे जाना है'', शीर्षक से अपने शोध पत्र में, इस बात पर प्रकाश डाला कि महिलाएं अक्सर खुद को अत्यधिक गरीबी की स्थितियों में फंसा हुआ पाती हैं, जो घरेलू और सामाजिक भेदभाव से और भी जटिल हो जाती है। नतीजतन, व्यापक आर्थिक नीतियों और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को इन महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली जरूरतों और चुनौतियों को विशेष रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है। अध्ययन से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में, पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) पहले से ही तीनों स्तरों पर सदस्यों और अध्यक्षों के रूप में महिलाओं के लिए कुल पदों में से न्यूनतम एक–तिहाई पदों को आरक्षित करके महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ये पंचायतें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों को तैयार करने और लागू करने की जिम्मेदारी निभाती हैं।

हस्ट एवलिन (2004)10 ने अपनी पुस्तक 'भारत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण' में महिलाओं की राजनीतिक उपस्थिति और सशक्तिकरण की गतिशीलता पर प्रकाश डाला है, विशेष रूप से पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया है। लेखक ओडिशा राज्य में किया गया एक व्यापक अध्ययन प्रस्तुत करता है। पुस्तक इस बात का खुलासा करती है कि आरक्षण नीति ने 73वें संशोधन में उल्लिखित अनिवार्य कोटा को पूरा करके सीमित स्तर की राजनीतिक उपस्थिति को सफलतापूर्वक स्थापित किया, लेकिन इसने सशक्तिकरण के वांछित लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल नहीं किया।

शर्मा कांता (2004)11 ''इक्कीसवीं सदी में महिला शक्ति'' में हमारे समाज में पुरुष प्रभुत्व में योगदान देने वाले कारकों पर प्रभावी ढंग से प्रकाश डाला है। वह महिलाओं के कानूनी अधिकारों की प्रकृति की जांच करती है और हमारे समाज में प्रमुख खिलाड़ियों की पहचान करती है जो यथास्थिति को प्रभावित करते हैं। शिक्षा विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में उभरती है, और लेखक महिला सशक्तिकरण के संबंध में सरकार के प्रयासों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।

सिंह राज (2002)12 की पुस्तक, ''न्यू पंचायती राज, ए फंक्शनल एनालिसिस'' 1992 के संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बाद नए पंचायती राज संस्थानों के कामकाज की एक व्यापक परीक्षा प्रदान करती है। यह पुस्तक आधारित है नए पंचायती राज संस्थानों के कामकाज पर एक क्षेत्रीय सेमिनार में प्रस्तुत शोध पत्रों पर, उनके संचालन के विभिन्न पहलुओं पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की गई। पुस्तक में सम्मिलित कागजातों को पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले, ऐसे कागजात हैं जो पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी और उनकी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर केंद्रित हैं। दूसरी श्रेणी पंचायती राज संस्थानों के भीतर क्षमता निर्माण की खोज करती है, जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के ज्ञान के स्तर और प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर प्रकाश डालती है। पत्रों की तीसरी श्रेणी पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट समस्याओं और उनकी भूमिकाओं को पूरा करने में उनके अनुभवों को संबोधित करती है। चौथी श्रेणी महिला सशक्तिकरण, भागीदारी और इस संदर्भ में आने वाली चुनौतियों के बारे में मतदाताओं की धारणा पर प्रकाश डालती है। इसके अतिरिक्त, कुछ कागजात नई पंचायती राज संस्थाओं के समग्र कामकाज का सिंहावलोकन

प्रदान करते हैं। पुस्तक में ऐसे कागजात भी शामिल हैं जो जमीनी स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण, भागीदारी विकास और पंचायती राज संस्थानों के गांधीवादी परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करते हैं। विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हुए, यह पुस्तक नई पंचायती राज प्रणाली की व्यापक समझ प्रदान करती है।

4. शोध पद्वति

वर्तमान अध्ययन के लिए शोध पद्धति, में मिश्रित–तरीके का दृष्टिकोण शामिल है। यह दृष्टिकोण अनुसंधान समस्या की व्यापक समझ प्राप्त करने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान तकनीकों को जोड़ता है।

मिश्रित–विधि दृष्टिकोणः अनुसंधान समस्या की व्यापक समझ हासिल करने के लिए, अध्ययन गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान तकनीकों के संयोजन से मिश्रित–विधि दृष्टिकोण का उपयोग करता है।

अनुक्रमिक खोजपूर्ण प्रारूपः अनुसंधान प्रारूप एक अनुक्रमिक खोजपूर्ण प्रारूप का अनुसरण करता है, जहां पहले गुणात्मक प्रदत्ता एकत्र किया जाता है, उसके बाद मात्रात्मक प्रदत्त एकत्र किया जाता है।

जनसंख्या और नमूना चयनः लक्षित जनसंख्या में सिवनी जिले में पंचायती राज संस्थानों में शामिल महिलाएं शामिल हैं। प्रतिनिधि नमूने का चयन करने के लिए उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस हेतु सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया हैं।

5. विश्लेषण एवं व्याख्या

सारणी 1

महिला उत्तरदाताओं की राजनैतिक सहभागिता एवं विकास के मध्य सम्बन्ध संबंधी परिणाम

महिलाओं के चरों के मध्य संबंध	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	सहसंबंध	प्रकार
राजनैतिक सहभागिता	400	10.65	5.98	-0.08	अत्यंत उच्च ऋणात्मक सहसंबंध
विकास	400	11.49	5.96		

अतः निष्कर्षतः कह सकते हैं कि सिवनी जिले में पंचायती राज संस्थाओं की महिला उत्तरदाताओं की राजनैतिक सहभागिता एवं विकास के मध्य अत्यतं उच्च ऋणात्मक एवं असार्थक सहसंबंध पाया गया। अर्थात महिला उत्तरदाताओं की राजनैतिक सहभागिता एवं विकास में कोई सहसंबंध नहीं हैं।

सारणी 2

जिला पंचायत की महिला उत्तरदाताओं की राजनैतिक सहभागिता एवं विकास के मध्य सम्बन्ध संबंधी परिणाम

महिलाओं के चरों के मध्य संबंध	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	सहसंबंध	प्रकार
राजनैतिक सहभागिता	10	19.93	2.87	0.52	परिमित धनात्मक सहसंबंध
विकास	10	10.8	1.17		

अतः निष्कर्षतः कह सकते हैं कि सिवनी जिले में पंचायती राज संस्थाओं की जिला पंचायत की महिला उत्तरदाताओं की राजनैतिक सहभागिता एवं विकास के मध्य परिमित धनात्मक एवं असार्थक सहसंबंध पाया गया। अर्थात जिला पंचायत की महिला उत्तरदाताओं की राजनैतिक सहभागिता एवं विकास में कोई सहसंबंध नहीं हैं।

सारणी 3

जनपद पंचायत की महिला उत्तरदाताओं की राजनैतिक सहभागिता एवं विकास के मध्य सम्बन्ध संबंधी परिणाम

महिलाओं के चरों के मध्य संबंध	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	सहसंबंध	प्रकार
राजनैतिक सहभागिता	79	12.43	6.11	-0.106	अत्यंत उच्च ऋणात्मक सहसंबंध
विकास	79	3.46	3.46		

अतः निष्कर्षतः कह सकते हैं कि सिवनी जिले में पंचायती राज संस्थाओं की जनपद पंचायत की महिला उत्तरदाताओं की राजनैतिक सहभागिता एवं विकास के मध्य अत्यतं उच्च ऋणात्मक एवं असार्थक सहसंबंध पाया गया। अर्थात जनपद पंचायत की महिला उत्तरदाताओं की राजनैतिक सहभागिता एवं विकास में कोई सहसंबंध नहीं हैं।

सारणी 4

ग्राम पंचायत की महिला उत्तरदाताओं की राजनैतिक सहभागिता एवं विकास के मध्य सम्बन्ध संबंधी परिणाम

महिलाओं के चरों के मध्य संबंध	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	सहसंबंध	प्रकार
राजनैतिक सहभागिता	311	9.92	5.71	-0.06	अत्यंत उच्च ऋणात्मक सहसंबंध
विकास	311	11.84	6.49		

अतः निष्कर्षतः कह सकते हैं कि सिवनी जिले में पंचायती राज संस्थाओं की ग्राम पंचायत की महिला उत्तरदाताओं की राजनैतिक सहभागिता एवं विकास के मध्य अत्यतं उच्च ऋणात्मक एवं असार्थक सहसंबंध पाया गया। अर्थात ग्राम पंचायत की महिला उत्तरदाताओं की राजनैतिक सहभागिता एवं विकास में कोई सहसंबंध नहीं हैं।

6. निष्कर्ष

परिणामों से ज्ञात होता हैं कि सिवनी जिले में पंचायती राज संस्थाओं की महिला उत्तरदाताओं की राजनैतिक सहभागिता एवं विकास के मध्य अत्यतं उच्च ऋणात्मक एवं असार्थक सहसंबंध पाया गया। अर्थात महिला उत्तरदाताओं की राजनैतिक सहभागिता एवं विकास में कोई सहसंबंध नहीं हैं। अतः प्रथम परिकल्पना ''सिवनी जिले में पंचायती राज संस्थाओं की महिला उत्तरदाताओं की राजनैतिक सहभागिता एवं विकास में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।'' निरस्त की जाती हैं।

सिवनी जिले में पंचायती राज संस्थाओं की जिला पंचायत की महिला उत्तरदाताओं की राजनैतिक सहभागिता एवं विकास के मध्य परिमित धनात्मक एवं असार्थक सहसंबंध पाया गया। अर्थात जिला पंचायत की महिला उत्तरदाताओं की राजनैतिक सहभागिता एवं विकास में कोई सहसंबंध नहीं हैं। अतः द्वितीय परिकल्पना ''सिवनी जिले में पंचायती राज संस्थाओं की जिला पंचायत की महिला उत्तरदाताओं की राजनैतिक सहभागिता एवं

www.ignited.in

विकास में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।'' निरस्त की जाती हैं।

सिवनी जिले में पंचायती राज संस्थाओं की जनपद पंचायत की महिला उत्तरदाताओं की राजनैतिक सहभागिता एवं विकास के मध्य अत्यतं उच्च ऋणात्मक एवं असार्थक सहसंबंध पाया गया। अर्थात जनपद पंचायत की महिला उत्तरदाताओं की राजनैतिक सहभागिता एवं विकास में कोई सहसंबंध नहीं हैं। निरस्त की जाती हैं। अतः तृतीय परिकल्पना ''सिवनी जिले में पंचायती राज संस्थाओं की जनपद पंचायत की महिला उत्तरदाताओं की राजनैतिक सहभागिता एवं विकास में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।'' निरस्त की जाती हैं।

सिवनी जिले में पंचायती राज संस्थाओं की ग्राम पंचायत की महिला उत्तरदाताओं की राजनैतिक सहभागिता एवं विकास के मध्य अत्यतं उच्च ऋणात्मक एवं असार्थक सहसंबंध पाया गया। अर्थात ग्राम पंचायत की महिला उत्तरदाताओं की राजनैतिक सहभागिता एवं विकास में कोई सहसंबंध नहीं हैं। अतः चतुर्थ परिकल्पना ''सिवनी जिले में पंचायती राज संस्थाओं की ग्राम पंचायत की महिला उत्तरदाताओं की राजनैतिक सहभागिता एवं विकास में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।'' निरस्त की जाती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. रुक्मिणी, एस (3 दिसंबर 2013) 'मतदाता मतदान में वृद्धि के पीछे कौन है?' द हिन्दू

2. एस. शेरिल केनेथ, वैगलर जे. डेविड (2008) राजनीतिक जानकारी, शिक्षा स्तर, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक दक्षता की भावना और कुछ निश्चित मान्यताओं की धारणा

3. घोड़के प्रो. शरद (2011) ''जिम्मेदार लोकतंत्र के लिए महिला आरक्षण पर्याप्त नहीं हैं'' (अनुच्छेद विषय शामिल समीक्षा टीम दिशानिर्देश लेखक के लिए समीक्षाकर्ता दिशानिर्देश शोध पत्र पर एफएक्यू प्रारूप) खंड– एक अंक चार

4. खान, गयास असद (2006) मतदान व्यवहार के प्रति राजनीतिक दृष्टिकोण का अध्ययन। राजनीति विज्ञान विभाग; वी बी एस पूर्वांचल विष्वविद्यालय।

5. बशारत ताहिरा (2009) समकालीन हिंदू महिला–एक सिंहावलोकन; पंजाब विष्वविद्यालय लाहौर; दक्षिण एशियाई अध्ययन का एक शोध जर्नल; वॉल्यूम 24, नंबर 2, पीपी 242–249

6. पुष्पा अर्चना, (2014) 'वूमेन इन चार्ज, कर्नाटक क्वेड रिवोल्यूशन' समाज कल्याण, वॉल्यूम. 16, क्रमांक 2, मार्च, पृ. 17–18

7. सदाशिवम (2014) भारत में समावेशी लोकतंत्र अभी भी एक लंबी यात्रा है। कुरूक्षेत्र, खंड. 62, क्रमांक 3 जनवरी, पृ. 32–35

8. महापात्र जी.पी. (2007) रूरल बैंक्स फॉर रूरल डेवलपमेंट डिस्कवरी पब्लिशिंग,घर नई दिल्ली

9. भाग्यलक्ष्मी, जे. (2004) श्महिला सशक्तिकरण मील आगे जाना हैश, योजना खंड 48 पृष्ठ 38–42

10. हस्ट एवलिन (2004) भारत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण–ए मिलियन इंदिराज़ नाउ ?, मनोहर पब्लिशर्स, नई दिल्ली

11. शर्मा कांता (2004) ''इक्कीसवीं सदी में महिला शक्ति'' अनमोल प्रकाशन प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली, 2004

12. राज सिंह (2002) 'न्यू पंचायती राजः ए फंक्शनल एनालिसिस' रावत प्रकाशन नई दिल्ली

Corresponding Author

Deepak Kumar Warkade*

Research Scholar, Bhabha University,Bhopal, MP